28/5/18 पत्रावली पेश हुई वक्त ए. फरी. उपस्थित / प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी के तर्क रहे कि उसके हिस्से की आराजी को प्रतिवादी। को दिगर व्यक्ति को बेचने पर आमदा है। प्रतिवादी के वकील के तर्क रहे कि कोई हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है। यदि कोई सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचना चाहता है तो उसे बेचने से रोका नहीं जा सकता चूंकि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है अत: किसी सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी। विवादित आराजी में सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रतिपादित न्याय सिद्धांतानुसार किसी सह खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती वाद पत्र मेरिट पर तय किया जाता है। वर्तमान स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नकल से बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested